UPAG010060912021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 29, आगरा।
प्रभारी पीठासीन अधिकारी–(प्रमेन्द्र कुमार), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 3222/2021

भूरा उर्फ शैलेन्द्र पुत्र मटरूमल निवासी–दहतोरा मोड़, दीप नगर थाना जगदीशपुरा जिला आगरा उम्र करीब 28 वर्ष।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

UP State

.....विपक्षी।

धारा–411 भा0दं0सं0
थाना–जगदीशपुरा, जिला आगरा।
अपराध संख्या–577/2020

दिनांक 04.06.2021

जमानत प्रार्थना पत्र भूरा उर्फ शैलेन्द्र की ओर से अपराध संख्या–577/2020, धारा 411 भा0दं0सं0 थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की रिश्तेदार मीरा देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी शिशिर जादौन ने थाना पर तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की कि वादी मकान नं0 6 गंगास्टेट कालौनली, अवधपुरी, थाना जगदीशपुरा का जनपद आगरा का निवासी है। दिनांक 19.10.2020 को वादी अपने परिवार सहित अपनी बहन श्रीमती राजबाला सिंह निवासी टूण्डला जिला फिरोबाद के यहां गया था। 19/20 की मध्यरात्री में वादी के मकान का मैन गेट कूदकर अज्ञात चोर घर में घुसकर मेरे मकान के ताले तोड़कर मकान में रखी अलमारी के ताले तोड़कर वादी की पत्नी श्रीमती अनीता जादौन के सोने व चांदी के आभूषण एवं कुछ साड़िया तथा वादी के सोने के आभूषण व 43,000/– रू0 नकदी चोरी कर ले गये।

उपरोक्त के आधार पर अभियुक्त भूरा उर्फ शैलेन्द्र के विरूद्ध अपराधसंख्या–577/2020 पर अंतर्गत धारा 457, 380 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया का अभियोग थाना जगदीशपुरा, आगरा पर पंजीकृत किया गया तथा बरामदगी होने पर धारा 411 की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से दिये गये जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में अभियोजन कथानक का जिक्र करते हुये कहा गया है कि उपरोक्त मामले में उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है जिसमें आवेदक/अभियुक्त नामजद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस वाले उसके घर से पूछताछ के बहाने ले गये और उपरोक्त अपराध में नामित कर दिया गया तथा उससे थाने पर ही झूंठी बरामदगी दिखा दी गयी जबकि बरामदगी का काई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। जिससे बरामदगी पूर्णतः झूठी प्रतीत होती है। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस ने कई मुकदमें एक साथ अपने आला अफसरों को खुश करने के लिये एवं गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से झूठे लगा दिये जबकि आवेदक/अभियुक्त ने कथित प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2021 को खारिज किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता है। अभियुक्त दिनांक 11.03.2021 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध हैं। अतः जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे मामले में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा झठूी बरामदगी दर्शायी गयी है। अभियुक्त दिनांक 11.03.2021 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला माल बरामदगी से सम्बन्धित है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। सहअभियुक्त के जुर्म इकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0दं0सं0 के तहत गिरफ्तार किया गया है एवं अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान बरामद होना कहा जाता है,

जिससे अभियुक्त ने इंकार किया है। सहअभियुक्त लल्ला उर्फ सज्जाद का जमानत प्रार्थनापत्र धारा 380, 457 भा0दं0सं0 में न्यायालय सत्र न्यायाधीश आगरा द्वारा दिनांक 18.05.2021 को स्वीकार किया जा चुका है तथा सहअभियुक्त आकाश उर्फ हनुमान का जमानत प्रार्थना पत्र धारा 411 भा.द.सं. मे अपर जिला एवं सत्र न्याधीश , न्यायालय संख्या 27 से दिनांक 28.05.2021 को स्वीकार हो चुका है। अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध केवल धारा 411 भा0दं0सं0 के तहत आरोपपत्र प्राप्त हुआ है। अभियुक्त दिनांक 11.03.2021 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर विचार व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त भूरा उर्फ शैलेन्द्र का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो जमानत दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 04—06—2021

Sd/-

प्रभारी विशेष न्यायाधीश (Pocso Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 29,
आगरा